


श्री गणेशाय नमः
पेशा/ 4.9.15

[Handwritten signature]



दिनेश कुशावाहा तनय स्व० जगन्नाथ कुशावाहा उ० 39 साल, पेशा जिल्हारे मिस्त्री
निवासी ग्राम गोविन्दगढ थाना गोविन्दगढ तहसील इजूर जिला रोवा म०प्र०

--- आवेदक/ निगरानी कता

बनाम

1. शासन म०प्र० जरीये राजस्व निरीक्षण मण्डल गोविन्दगढ म०प्र०
2. रामलाल कुशावाहा उ० वर्मा तनय स्व० रामगोबिंद वर्मा निवासी गोविन्दगढ
थाना गोविन्दगढ, तहसील इजूर जिला रोवा म०प्र० --- थाना जण/ गैर निगरानीक

38/
4-9-15

R-5030-II/15

निगरानी विरुद्ध बादेशा राजस्व निरीक्षण वृत्त
गोविन्दगढ तहसील इजूर का शीमांकन प्रकरण क्र०
27/ब-12/2 014-15 आदेशा दिनांक 5.8.15 वाकत
आ० सं० 1359 रकवा 0.162 हे०, स्थित गोविन्दगढ
रा० नि० सं० गोविन्दगढ जिला रोवा म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० सं० रा० सं० 1959ई

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि अधी० न्यायालय का आदेशा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से
निरस्त किए जाने योग्य है ।
- 2- यह कि अधी० न्यायालय ने इस विन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि भूमि
सं० 1359 रकवा 0.162 हे० थाना 0.4 ए० भूमि में 0.15 ए० भूमि आवेदक को
है, तथा 0.25 ए० भूमि अनावेदक का है, जहाँ रिकार्ड में बटा नम्बर नहीं पडा है
लेकिन मौके से वाडी लगी है, जो सरहददी काश्तकार है, जिसे न तो कोई सूचना
दी गई और न उसके समक्ष सीमांकन किया गया, राजस्व निरीक्षक व पटवारी मिलकर
बिना बतौरिय छुप वाप सीमांकन कर दिये । तथा आवेदक को भूमि प्रभावित हुई जो
आदेशा निरस्त किए जाने योग्य है ।
- 3- यह कि आवेदक का पिता स्व० जगन्नाथ एवं अनावेदक क्र० 2 रामलाल कुशावाहा

दिनेश कुशावाहा

दिनांक कुशावली / शासन रामलाल वर्मा
R. 5030-दे/115 रीण

(51)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|-----------------------------|---|--|
| <p>3.10.15-</p> <p>(14)</p> | <p>1- प्रकाश में कापसी पर कुनवर्स हेतु आवेदक को सूचना पत्र जारी है।</p> <p>2- वास्ते कापसी पर कार्य जारी तारीख 18.1.16</p> <p>अज्ञात से</p> | |
| <p>18.1.16</p> <p>(135)</p> | <p>1. आवेदक अभिभावक श्री. अनांत सिंह उपस्थित।</p> <p>2. माननीय सदस्य महो. का रीथा आगमन नहीं हो सका।</p> <p>3. वास्ते कापसी पर कार्य।</p> <p>देशी तारीख 2.2.16</p> <p>अज्ञात से</p> <p>राजस्व मण्डल म.प्र. न्यायालय, सर्किट कोर्ट रीण</p> | |
| <p>20.4.16</p> <p>(10)</p> | <p>1. आवेदक अभिभावक श्री. अनांत सिंह उपस्थित।</p> <p>2. माननीय सदस्य महो. का रीथा आगमन नहीं हो सका।</p> <p>3. वास्ते कापसी पर कार्य।</p> <p>देशी तारीख 1.5.16</p> <p>अज्ञात से</p> <p>राजस्व मण्डल म.प्र. न्यायालय, सर्किट कोर्ट रीण</p> | <p>MR 20/4/2016 अज्ञात से</p> |
| <p>12.5.16</p> | <p>प्रकाश में आवेदक अधिवक्ता के श्रेयता पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक अधिवक्ता निगलनी मेमो में अंकित तथ्यों के प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रकाश में श्रेयता का कर्मणि एवं समुचित आधार न पाये जाने के कारण प्रकाश अग्रहण किया जाता है। पक्षकार सूचित है। प्रकाश न.प्र. है।</p> <p>अज्ञात से</p> | <p>MR 12/5/2016 अज्ञात से</p> |